

(iii) NEED FOR A DRAINAGE SYSTEM IN THE CHAMBAL VALLEY

ओ छिराल अर्गल (मुरैना): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम, 377 के अन्तर्गत चम्बल क्षेत्र में जल-निकास एवं जल निस्तारण की आवश्यकता तथा चम्बल-बीहड़ों के कटाव को रोकने हेतु इस सदन का प्रावचन आकृष्टि करना चाहता है।

चम्बल क्षेत्र में सिचाई के पूर्व भी जगह जगह पर जल निकास की समस्या बनी रही है। उदाहरण के तौर पर जीरा एवं मेमई क्षेत्र में अभी तक सिचाई नहीं थी, परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में भूमि का जलस्तर बहुत ही ऊंचा बना रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में फसलों की पैदावार बहुत ही कम होती थी और कुछ में तो घास भी नहीं उगती थी।

जहाँ चम्बल, का पानी इम क्षेत्र के लिये बहदान बना है उसी प्रकार पानी का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण यह हजारों एकड़ भूमि के लिये अभियाप भी बन गया है। जब से चम्बल सिचाई प्रणाली से पांच लाख साठ हजार एकड़ में सिचाई हो रही है, गत 10-12 वर्षों में करीब-करीब दो लाख एकड़ भूमि में जल-निकास एवं बीहड़ों के कटाव की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। यह समस्या दिन-प्रति-दिन उपर रूप धारण करती जा रही है।

इस समस्या के कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं :—

1. चम्बल नहर प्रणाली से रिसान का पानी आसपास के क्षेत्र में बुरी तरह भरा रहता है, जिसके कारण सबलगड़, पहाड़गड़, जीरा, पोरसा, मुरैना, अम्बाह, घिरवान, दिमनी चांपुर, बोहद, पिण्ड, मेहांवां प्रादि क्षेत्रों में लाखों एकड़ भूमि कालत से वंचित हो चुकी है तथा बीहड़ भी बन चुकी है।

2. चम्बल-नहर प्रणाली में जल-निस्तारण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

कई स्थानों पर माइनर जेतों तक से जा कर छोड़ भी गई है तथा शासकीय नालों पर कृषकों ने अतिक्रमण कर नाले बन्द कर दिये हैं, जिस का अवलंगत उदाहरण ग्वालियर से नूराबाद तक तथा स्थान-स्थान पर पुलिया तो नजर आती है, परन्तु नाले कहीं नजर नहीं आते हैं। इस कारण नैसर्गिक झेनेज का जो प्रावधान था, वह भी नष्ट हो चुका है।

इन्हीं कारणों से बर्बा छन्दु के पश्चात् जब भूमिगत जल का बाष्पीकरण होता है तो पानी में बुला तुप्पा ज्ञार तथा लवण भूमि की सतह पर अधिक मात्रा में जमता जाता है एवं समय के साथ-साथ यह समस्या इतना गम्भीर रूप धारण कर रही है कि सिफं चम्बल क्षेत्र ही नहीं नदियों के कङ्कार भी नष्ट होते जा रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भट्टेर तहसील के तरसोखर, चोमी बहेरा, प्रादि ग्रामों में कई हजार एकड़ भूमि में दलदल बन गई है।

अतः इस समस्या के निवारण हेतु तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो चम्बल नहर प्रणाली से तो पांच लाख साठ हजार एकड़ क्षेत्र में ही पानी मिलने वाला है, परन्तु इससे कहीं अधिक भूमि कटाव से नष्ट हो जायगी। इसके लिये इस क्षेत्र में जल-निस्तारण तथा धारीय भूमि का रिक्वेमेशन तत्काल करने की आवश्यकता है।

यद्यपि सिचाई विभाग ने झेनेज का कार्य हाथ में लिया है, परन्तु इसके लिये हमारे पास न तो आवश्यक ज्ञान है भीर न ही गम्भीर प्राप्त है। योजना आयोग डारा छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा जा रहा है। भारत सरकार तथा भारतीय कृषि ग्रन्तुसंघान परिषद के माध्यम से चम्बल क्षेत्र में जल निकास तथा जारीय एवं लवणीय भूमि के उदार हेतु ग्रन्तुसंघान के लिये मार्गदर्शन प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि भारतीय कृषि ग्रन्तुसंघान परिषद को इस

[श्री छविराम अर्गंल]

दबाए में अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के लिये बड़ा ढाला जाय। एक अनुसन्धान केन्द्र जल निकास के लिए तथा दूसरग आरीय एवं लवणीय भूमि का उदार करने हेतु कायम किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अत यह आवश्यक है कि भारत सरकार, योजना आयोग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद से समर्पक साध कर उत्तर विण्ठि दो केन्द्र तुरन्त कायम कराये जाये। इस कार्य हेतु भारत सरकार को केन्द्र स्थापित करने के लिये सेमई मे 500-700 एकड़ शासकीय भूमि, आरीय तथा लवणीय भूमि पर अनुसन्धान कार्य करने हेतु दी जा सकती है व इस प्रकार जल निस्तारण अनुसन्धान हेतु गोहद मे जो शासकीय कृषि प्रशेव करीब 150 एकड़ भूमि पर हाल ही मे स्थापित किया गया है, दिया जा सकता है।

यदि ये दो केन्द्र चम्बल धेन मे स्थापित किये जाते हैं तो हजारों एकड़ भूमि को नष्ट होने से बचाया जा सकता है और हम जो डेनेज का कार्यक्रम नेने वाले हैं, जिस पर लाखों रुपया खर्च होने वाला है, उसे सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। सन् 1972 के दृष्टिगत कमीशन ने चम्बल कमाण्ड प्रोजेक्ट को तिक स्कीम बनाया है। यथा केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण योजनान्तर्गत मुदीना मे जल निकास एवं कट्टे हुए बीहड़ो को बचाने की तुरन्त योजना बनायेगे।

बीहड़ो का कटाव भी तेज गति से हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय शासन से माय करता हू—चम्बल बीहड़ो एवं कृषि योग्य लाखों एकड़ भूमि जो बरसात मे प्रति वर्ष कटसी जा रही है, इन बीहड़ो की भूमि को जो कानून योग्य है, उसे भूमिहीन हरिजन और आदिवासियो मे बाट दिया जाय। जो बाकी बीहड़ो की भूमि है, जो कृषि योग्य नहीं है, वहा चम्बल बीहड़ो मे बृक्षारोपण की कार्यवाही युद्धस्तर पर की जाय, ताकि कृषि योग्य भूमि के कटाव एवं बीहड़ो के कटाव को

रोका जा सके। चम्बल धेन मे एक भारी बड़ा समस्या निवार्ह आवश्यक ही है। निवार्ह आवश्याना बसूल करने से एप्लीकेन्ट प्रधा समाप्त कर किसानों को भूमिकार दुचद, तिचद लगान एवं प्रथ दण्ड से बचाया जाए। निवार्ह के साथ बसूल करने की कार्यवाही की जाए तो भूमिकार का उन्मलन द्वाया वे किसानों को राहत व आवश्याना की सरकार को प्राप्त होंगा ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य मे है। मध्यप्रदेश मे भी लागू की जाए।

MR. SPEAKER: Prof Dalip CHAKRAVARTY—he is not here.
Hon Prime Minister

11.55 hrs.

MOTION RE DRAFT FIVE YEAR PLAN 1978-83—Contd

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Mr. Speaker, Sir, I heard the hon Members when they gave their views on the Draft Five Year Plan, partially through out the debate, and I listened carefully to what they said even though at one stage a remark was made that I was not here to listen to the debate.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): That is permissible.

SHRI MORARJI DESAI: It is permissible I am not objecting to it. Hon Members have a right to say what they like but it is for them to consider whether what they say is proper or not. I do not want to dwell on it further.

It was even contended that I believe I am always right and that I do not think that others can have anything to say. Well, there could not be a wilder statement than that and if I really believe that, then I think I would be a person totally devoid of all intelligence. No person can ever claim that he knows everything and that he alone is right and nobody else